

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया
(जिला सामान्य शाखा)
आदेश

आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(4) के तहत जिला दंडाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं० 4-22/2018 के टि० पृ० सं० 19 पर दिनांक 11.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी सुनील कुमार दत्त, ग्राम- सैदपुर, पो०-मानसी, थाना- मानसी, जिला- खगड़िया के मृत्योपरान्त उनके द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-03/1994 (मानसी थाना) राईफल एवं सं० 05/1999 (मानसी थाना) बंदुक के अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाता है।

आर्म्स नियमावली 2016 के नियम 47 के तहत आवेदक विवेकानन्द विवेक (पुत्र)को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 03/1994 पर धारित शस्त्र सं० AB 04/3082 राईफल एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०- 05/1999 पर धारित शस्त्र सं० DBBLGun 21125-1/98 बंदुक को मानसी थाना के मालखाना या डिलक्स आर्म्स, शिवाला रोड, खगड़िया मे जमा करते हुए पावती रसीद की छायाप्रति एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका मूल रूप में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

EOJ -
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापांक IV-22/2018.....11...../जी०, दिनांक.....11-1-19.....

- प्रतिलिपि : आवेदक विवेकानन्द विवेक पे०-सुनील कुमार दत्त, ग्राम- सैदपुर, पो०-मानसी, थाना- मानसी, जिला- खगड़िया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : डिलक्स आर्म्स, शिवाला रोड, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: थानाध्यक्ष, मानसी, जिला- खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई० टी० प्रबंधक खगड़िया/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को बेबसाइड पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई मेल से भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Mujun
11/1/2019
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया